राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
(सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और पथ-प्रदर्शन (हैण्डहोल्डिंग) के लिए योजना)

1. पृष्ठभूमि

1.1 दुनिया भर की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) की पहचान ऐसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में की जाती है, जिनका रोजगार के विस्तार और निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से विशिष्ट योगदान होता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता आधार के सृजन की दृष्टि से भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें इन उद्यमों के महत्व को देखते हुए इनके संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं।

1.2 भारत में लघु उद्योगों, जिनमें अति लघु या सूक्ष्म उद्योग तथा सेवा/व्यापार एकक भी शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम.एस.ई) कहा जाता है, का स्थानिक दृष्टि से विस्तृत और रोजगारोन्मुख आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की दृष्टि से लम्बा इतिहास रहा है। रोजगार सृजन की दृष्टि से इस क्षेत्र का स्थान कृषि के तुरंत बाद आता है।

1.3 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास की दृष्टि से उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए मूल तत्व है। अनेक संगठनों उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (जिन्हें पूर्व में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहा जाता था), राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास निगम, बैंक तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नए उद्यमियों के सृजन हेतु उनके छिपे हुए उद्यमिता के गुणों को उभारने व सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु विभिन्न पहलुओं की आवश्यक जानकारी देने के लिए, विभिन्न अवधियों के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) व निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण (वी.टी.) कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम (एस.डी.पी.) और उद्यमिता-सह-कुशलता विकास कार्यक्रम (ई.एस.डी.पी.) भी आयोजित किए जा रहे हैं।

1.4 तथापि, ई.डी.पी./एस.डी.पी./ई.एस.डी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापित करने और उन्हें सफलता पूर्वक चलाने की दृष्टि से सफलता दर में बहुत भिन्नता है। ऐसा पाया गया है कि नए उद्यमी सामान्य तौर पर सरकार/वित्तीय संस्थानों की विभिन्न स्कीमों के तहत पूरा लाभ उठाने में विभिन्न कानूनों/विनियमों के तहत विविध औपचारिकताओं और कानूनी आवश्कताओं को पूरा करने और अनुपालन करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करने, क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ सम्पर्क करने, आदि में मुश्किलों का सामना करते हैं। संभावित उद्यमियों की अपेक्षाओं तथा जमीन की हकीकत के बीच के फासले को पाटने के लिए यह जरूरी है कि संभावित उद्यमियों के साथ-साथ वर्तमान उद्यमियों को उनके उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के शुरूआती स्तरों पर पथ-प्रदर्शन (हैंड-होल्डिंग) हेतु समर्थन दिया जाए और उनका पोषण किया जाए।

2. उद्देश्य

2.1 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(i) संभावित प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को समर्थन तथा सहायता प्रदान करना है जिन्होंने सफलता पूर्वक उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी)/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वीटी) पूर्ण कर लिया है अथवा कर रहे हैं, को ' उद्यमी मित्र' नामक चयनित शीर्ष संस्था के माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना तथा प्रबंधन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा उद्यम स्थापित करने और उद्यम चलाने हेतु अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए पथ-प्रदर्शन सहायता और सहयोग उपलब्ध कराना है।

(ii) 'उद्यमी हेल्पलाइन' (सूलमउ के लिए एक कॉल सेंटर) के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के साथ-साथ अन्य वर्तमान उद्यमियों को सूचना, समर्थन, दिशा-निर्देश तथा सहायता प्रदान करना जिससे उन्हें सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों, उद्यम की स्थापना करने तथा उसे चलाने एवं बैंक क्रेडिट इत्यादि का मूल्यांकन करने के संदर्भ में सहायता प्रदान की जा सके।

3. उद्यमी मित्र

3.1 पात्रता

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत उद्यमी मित्र अर्थात् चयनित शीर्ष संस्थाओं को प्रथम पीढ़ी के सभावित उद्यमियों की सहायता और पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निम्नलिखित एजेन्सी/संस्थाएं शीर्ष संस्था अर्थात् उद्यमी मित्र के रूप में नियुक्त की जा सकती हैं:-

(i) वर्तमान राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (ई.डी.आई);
(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एम.एस.एम.ई.डी.आई)/ इनकी शाखाएं;
(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास कार्य में संलग्न हैं, जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि;
(iv) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चयनित राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान और उद्यमिता विकास केन्द्र;
(v) खादी और ग्रामोद्योग आयोग;
(vi) उद्यमिता विकास में संलग्न क्लस्टर विकास के लिए विशेष प्रयोजनार्थ संस्था (एस.पी.वी.)
(vii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों/लघु उद्योगों के समर्थ संघ।
(viii) उद्यमिता विकास/कौशल विकास में संलग्न अन्य संगठन/प्रशिक्षण संस्थान/गैर सरकारी संगठन इत्यादि।

3.2 उद्यमी मित्र की भूमिका और जिम्मेदारी

चयनित शीर्ष संस्थाओं अर्थात् उद्यमी मित्रों से सहायता एवं पथ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित सेवाओं की अपेक्षा की जाएगी :-

(i) प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को उद्यम की स्थापना में सहायता हेतु, एक ओर विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों/संगठनों और नियामक एजेंसियों के साथ और दूसरी ओर बैंकों, वित्तीय संस्थानों, जिला उद्योग केंद्रों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, आधारसंरचना प्रदाताओं आदि सहायक एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग, समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही करना। उद्यमी मित्र से प्रथम पीढी के उद्यमियों की निम्न बिन्दुओं पर सहायता अपेक्षित है :-

(क) उपयुक्त परियोजना/उत्पाद/उद्यमों की पहचान करना और उनके लिए बैंक-ग्राह्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;
(ख) स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी/सोसायटी/स्वयं-सहायता समूह आदि का सृजन।
(ग) ज्ञापन फाइल करना (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के तहत निर्दिष्ट)।
(घ) संबंधित एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों/संगठनों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि की विभिन्न स्कीमों के तहत बैंक ऋण, अनुप्रयोज्य पूंजीगत सब्सिडी/सहायता आदि का लाभ दिलवाना।
(ड.) वर्कशेड/कार्यालय की स्थापना में सहायता तथा समर्थन।
(च) पावर लोड/विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति।
(छ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन और संयंत्र एवं मशीनरी/कार्यालय उपकरणों आदि की स्थापना।
(ज) संबंधित नियंत्रक एजेन्सियों/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/नगरपालिका प्राधिकारियों आदि से विभिन्न पंजीकरणों/लाइसेंस/क्लियरेंस/अनापति प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करना।
(झ) आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) का आवंटन और सेवा कर/बिक्री कर/वैट पंजीकरण आदि।

(ञ) बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की स्वीकृति।
(ट) कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ टाई-अप।
(ठ) उत्पाद/सेवा और विपणन विकास आदि के लिए विपणन कार्यनीति बनाना और उसका कार्यान्वयन करना।
(ड) भविष्य में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए परामर्शदाता के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
(ढ़) वेब पेज और ई-मेल पते का सृजन।

(ii) एक बार उद्यम के सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के उपरांत उद्यमी मित्र न्यूनतम 6 महीनों की अवधि के लिए उद्यम के संचालन का अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्यवाही करेगा तथा विभिन्न प्रबंधकीय, वित्तीय और प्रचालानात्मक समस्याओं को दूर करने में मदद भी करेगा।

3.3 उद्यमी मित्रों का सूचीकरण

3.3.1 उद्यमिता विकास के कार्य में संलग्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संगठन, अर्थात् तीन राष्ट्र-स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (अर्थात् निसबड, नोएडा, आईआईई, गुवाहाटी और एन.आई.एम.एस.एम.ई., हैदराबाद) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान ब्रांच एमएसएमईडीआई, केवीआईसी, एनएसआईसी, कयर बोर्ड तथा सूलमउ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठन और एन.एस.आई.सी को योजना के अंतर्गत श्रेणी-I उद्यमी मित्र कहा जाएगा, इस स्कीम के तहत उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध माने जाएंगे। ऐसे श्रेणी-I उद्यमी मित्रों को शीर्ष संगठन कहा जाएगा।

3.3.2 उद्यमी मित्र के रूप में सूचीकरण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास में संलग्न केन्द्रीय /राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण (पी.एस.ई) तथा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान, विश्वविद्यालय/संस्थान आदि (जिन्हें इसके आगे श्रेणी-II उद्यमी मित्र कहा जाएगा), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशक/आयुक्त के माध्यम से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में आवेदन करेंगे।

3.3.3 अन्य संस्थाएं जो कि पैरा 3.1 के अंतर्गत पात्रता शर्तें पूरी करती हैं (जिन्हें इसके बाद श्रेणी-III उद्यमी मित्र कहा जाएगा), वे निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक (जी.एम. डी.आई.सी.) को आवेदन करेंगी। आवेदन में संस्था की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित करने तथा नए उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने का पूर्व अनुभव, पिछले तीन वर्षों का ऑडिट लेखा, पथ-प्रदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले दल का प्रोफाइल, आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

3.3.4 श्रेणी-III के उद्यमी मित्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। वह निरीक्षण/अन्य जांच पड़ताल के माध्यम से आवेदक एजेन्सी की साख और क्षमता का सत्यापन करेगा और अपनी सिफारिशों सहित आवेदन पत्र संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के उद्योग निदेशक/आयुक्त को भेजेगा।

3.3.5 संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश का उद्योग निदेशक/आयुक्त सीधे प्राप्त (श्रेणी-II के उद्यमी मित्रों से) और संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्राप्त (श्रेणी-III के उद्यमी मित्रों से) आवेदन पत्रों की संक्षिप्त सूची तैयार करेगा और अपनी सिफारिशों सहित सूचीबद्ध आवेदन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेजेगा।

3.3.6 शीर्ष संस्थाओं (श्रेणी-I उद्यमी मित्र के रूप में) की सहभागी/फ्रेंचाइजी संस्थाएं अपने संबंधित शीर्ष संगठन के माध्यम से सूलमउ मंत्रालय को अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगी जो दावा प्रक्रिया प्राधिकरण की भूमिका भी निभाएगा।

3.3.7 संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश अथवा शीर्ष संस्था के उद्योग निदेशक/आयुक्त से प्राप्त आवेदनों पर एक जांच समिति द्वारा विचार किया जाएगा। जांच समिति की सिफारिशें सचिव (सूलमउ) के समक्ष रखी जाएंगी और सचिव द्वारा स्वीकार होने के बाद उद्यमी मित्रों के सूचीकरण सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेश अथवा शीर्ष संस्था, जैसी भी मामला हो, के अनुसार उद्योग निदेशक/आयुक्त के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

3.4 जांच समिति

3.4.1 योजना के अंतर्गत सभी प्रस्तावों पर विचार संयुक्त सचिव (सूलमउ) की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा किया जाएगा। जांच समिति के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i)	आर्थिक सलाहकार	सदस्य
(ii)	अपर विकास आयुक्त (ईए), विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय	सदस्य
(iii)	औद्योगिक सलाहकार/संयुक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय	सदस्य
(iv)	निदेशक/अवर सचिव आंतरिक वित्त स्कन्ध	सदस्य
(v)	निदेशक/सूलमउ मंत्रालय	सदस्य सचिव

3.4.2 जांच समिति आवेदनों की जांच करेगी और उद्यमी मित्र के रूप में सूचीकरण के लिए पात्र आवेदनकर्ताओं हेतु सिफारिश करेगी। जांच समिति की सिफारिशें सचिव (सूलमउ) के समक्ष रखी जाएंगी और सचिव द्वारा स्वीकार होने के बाद उद्यमी मित्रों के सूचीकरण सम्बनघी निर्णय सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेश अथवा शीर्ष संस्था जैसी भी मामला हो, के अनुसार उद्योग निदेशक/आयुक्त के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

3.4.3 जांच समिति उद्यमी मित्रों के साथ-साथ उद्यमी हेल्पलाइन के लिए कॉल सेंटर एजेंटों के प्रमुख कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रस्तावों जिसमें विषयवस्तु, अवधि, प्रशिक्षण प्रदाता, अवस्थिति तथा लागत आदि की जांच तथा प्रक्रिया करेगी और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशें सचिव (सूलमउ) को करेगी।

3.4.4 जांच समिति नियमित रूप से स्कीम की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी तथा स्कीम के सुलभ कार्यकरण के लिए जब भी आवश्यक होगा, सचिव (सूलमउ) के अनुमोदन के साथ उपयुक्त कार्यकारी अनुदेश जारी करेगी।

3.5 प्रमुख कर्मियों को प्रशिक्षण

3.5.1 शीर्ष संस्थाओं अर्थात् उद्यमी मित्रों से संस्था के दो प्रमुख कर्मी, जो कि इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में से किसी एक संस्थान में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षकों के खाने और रहने तथा प्रशिक्षण का व्यय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। प्रमुख कर्मियों/कॉल सेंटर एजेंटों को जब कभी आवश्यक होगा, पुनश्चर्या प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता होगी।

4. उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ

4.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) की सेवाओं से एक उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए एन.एस.आई.सी. को वास्तविक आधार पर प्रशासनिक व्यय/सेवा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4.2 यह उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ योजना के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और प्रस्तावों तथा दावों आदि का परीक्षण करेगा तथा रिकार्ड और लेखों का रख-रखाव और योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेगा।

5. उद्यमी हेल्पलाइन

5.1 सरकार/अन्य एजेंसियों की विभिन्न संवर्धनात्मक एक विकासात्मक स्कीमों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने तथा मंत्रालय के बैंक ऋण का मूल्यांकन करने एवं उनकी ऋण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक उद्यमी हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। उद्यमी हेल्पलाइन भावी उद्यमियों के साथ-साथ वर्तमान उद्यमियों को आवश्यक जानकारी तथा दिशा-निर्देश एवं उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं/सूलमउ स्कीमों पर सूचना/प्रक्रियाएं/ऋण संबंधी मामलों पर सूचना उपलब्ध कराएगी।

5.2 उद्यमी हेल्पलाइन सूलमउ उद्यमियों के लिए एक कॉल सेंटर के रूप में कार्य करेगा तथा इसका एक टोल फ्री नं. (1800-180-6763) सभी लेंडलाइन तथा मोबाइल फोनों इत्यादि की पहुंच में होगा। उद्यमी हेल्पलाइन प्रातः 6 बजे से आरम्भ करके रात्रि 10 बजे तक कार्य करेगी। अकार्यशील घंटों के दौरान कॉल करने वाले को एक आईवीआरएस मैसेज मिलेगा।

5.3 उद्यमी हेल्पलाइन के कॉल सेंटर एजेंटों को सरकार तथा अन्य विकासात्मक संगठनों एवं बैंकों इत्यादि की विभिन्न स्कीमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। वे सरकार तथा बैंक इत्यादि की योजनाओं के संबंध में जनता को आधारभूत प्रश्नों के उत्तर फोन पर देंगे तथा जहां आवश्यक होगा वे कॉल को कांफ्रेस कॉल अथवा संबंधित बैंक/संगठन अथवा ई-मेल द्वारा प्रेषित करके संबंधित प्राधिकारी को देंगे।

5.4 उद्यमी हेल्पलाइन द्वारा प्राप्त प्रत्येक कॉल/प्रश्न कॉल एजेंट द्वारा उसकी मूल विषयवस्तु रिकार्ड करके एक भिन्न संदर्भ संख्या देकर एवं उसके प्रश्न के उत्तर दिए जाने तक उसका ट्रेक रखेंगे कॉल करने वाला तदुपरांत वापिस कॉल भी कर सकता है तथा इस संदर्भ सरकार का उल्लेख करके अपनी समस्या का ट्रेक खोज सकता है। वैकल्पिक तौर पर कॉल सेंटर कॉल करने वाले पक्ष से यदि आवश्यक हो, तो प्रश्न समाप्त करने के लिए संबंध स्थापित कर सकता है।

5.5 यदि कॉल करने वाला उद्यमी किसी कॉल करने वाले के साथ सीधे संपर्क स्थापित करना चाहता है अथवा उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, तो कॉल सेंटर एजेंट उसे किसी सूचीबद्ध उद्यमी मित्र से संपर्क करवा सकता है जो कॉल करने वाले को आवश्यक पथ प्रदर्शन समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगा।

5.6 विकास आयुक्त (सूलमउ) उद्यमी हेल्पलाइन के लिए एक कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

6. लक्ष्य

6.1 शीर्ष संस्थाओं अर्थात् उद्यमी मित्रों को विभिन्न ईडीपी/एसडीपी/वीटी के अन्तर्गत प्रशिक्षित संभावित उद्यमियों के संवर्धन और पथ-प्रदर्शन के रूप में पोस्ट ईडीपी/एसडीपी/ईएसडीपी/वीटी कार्यकलापों हेतु वार्षिक लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे।

6.2 श्रेणी-I उद्यमी मित्रों को पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए लक्ष्यों का आवंटन उनकी क्षमता और विगत कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सीधे किया जाएगा।

6.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अन्य प्रमुख एजेन्सियों अर्थात् श्रेणी-II और III उद्यमी मित्रों को लक्ष्यों का आवंटन राज्य उद्योग निदेशालयों के माध्यम से उनके विगत कार्यनिष्पादन और क्षमता तथा बजट की उपलब्धता के साथ ही साथ राज्य में उपलब्ध ईडीपी/एसडीपी/इएसडीपी/वीटी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।

6.4 सरकार की नीतियों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा।

7. उद्यमियों मित्रों के साथ लाभार्थियों का पंजीकरण

7.1 उद्यमी मित्र पथ-प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए संभावित उद्यमियों का पंजीकरण करेंगे। केवल उन्हीं लाभार्थियों का योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जाएगा जिन्हें कम से कम 2 सप्ताह का ईडीपी/एसडीपी/ईएसडीपी/व्यावसायिक प्रशिक्षण (वी.टी.) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है अथवा कर रहे हैं।

7.2 आवेदक को अपने स्वयं के अंशदान (यथा लागू-पैरा 8.1 में उल्लिखित) के साथ योजना के अधीन पंजीकरण के लिए अपना आवेदन संबंधित उद्यमी मित्र को प्रस्तुत करना होगा।

7.3 उद्यमी मित्र लाभार्थियों से यथा लागू लाभार्थी अंशदान के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, प्रत्येक लाभार्थी का वांछित विवरण जैसे नाम, आयु, श्रेणी, तथा प्रमाण-पत्र संख्या, अवधि और संस्थान के नाम सहित आवेदक द्वारा लिए गए ईडीपी/एसडीपी/ईएसडीपी का विवरण, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित सर्वर पर अपलोड करेगा। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को इस योजना के लिए आवश्यक वेब होस्टिंग और (सॉफ्टवेयर के विकास, प्रशिक्षण, हार्डवेयर और रख-रखाव आदि सहित) सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के सृजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, योजना के लिए आवंटित योजनागत निधियों में से की जाएगी।

7.4 एक बार आवेदन पत्र सफलतापूर्वक अपलोड होने पर आवेदक के लिए एकल पंजीकरण संख्या के साथ एक पावती प्रमाण-पत्र तैयार किया जाएगा। उद्यमी मित्र संबंधित आवेदक को प्राप्त राशि की रसीद और तैयार की गई पावती जारी करेगा।

7.5 आवेदक उद्यमी, उद्यमी मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता और दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी भूमिका एवं दायित्वों/कर्तव्यों के संबंध में उद्यमी मित्र के साथ (अनुबंध-II) एक समझौता भी करेगा।

8. उद्यमी मित्रों के लिए वित्तीय सहायता

8.1 वित्तीय सहायता की दरें

8.1.1 सेवा उद्यम स्थापित कराने के लिए उद्यमी मित्रों को प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 4000/-(चार हजार रूपये मात्र) की दर से पथ-प्रदर्शन प्रभार प्रदान किया जाएगा, जिसमें राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अधीन रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का केन्द्रीय अनुदान और रूपये 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) प्रति लाभार्थी अंशदान (अग्रिम के रूप में जमा) होगा।

8.1.2 रूपये 25,00,000/- तक के निवेश (संयंत्र और मशीनरी में) वाले सूक्ष्म विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु पथ-प्रदर्शन प्रभार रूपये 6000/- (छः हजार रूपये मात्र) होगा, तथा लाभार्थी द्वारा रूपये 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) का अंशदान सम्मिलित होगा।

8.1.3 अनुसूचित जाति/जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला/पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए लाभार्थी अंशदान रूपये 1000/-(एक हजार रूपये मात्र) भी सरकार द्वारा राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

8.1.4 रूपये 25,00,000/- से अधिक निवेश (संयंत्र और मशीनरी में) वाले लधु विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु सरकारी अनुदान (यथास्थिति रूपये 5000/- अथवा रूपये 6000/-), और उद्यमी के अंशदान (यथास्थिति रूपये 1000/- अथवा शून्य) के अतिरिक्त उद्यमी को पथ-प्रदर्शन प्रभार के रूप में अतिरिक्त अंशदान भी जमा करना होगा जिसकी दर परियोजना लागत और रूपये 25,00,000/- के अंतर 0.1 प्रतिशत, (रूपये 10,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन), होगी।

8.2 उद्यमी मित्रों के लिए पथ-प्रदर्शन प्रभार जारी करना

8.2.1 अपने क्षेत्राधिकार में उद्यमी मित्र को जारी करने के लिए शीर्ष संस्था तथा आयुक्त/निदेशक उद्योग को मंत्रालय निधियां अग्रिम रूप में देगा और वे बदले में उद्यमी मित्रों को सूचीबद्ध लाभार्थी द्वारा विभिन्न लक्ष्यों (लागू किए गए अनुसार) की सफलतापूर्वक प्राप्ति पर तीन किश्तों में पथ प्रदर्शन प्रभार निम्नानुसार निर्मुक्त करेंगे-

चरण	कार्यकलाप/लक्ष्य	पथ-प्रदर्शन प्रभार जारी करना (कुल का प्रतिशत)
1.	क. उद्यमियों का चयन। ख. उद्यमियों के कौशल/रूचि की पहचान। ग. उद्यमियों की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं का मूल्यांकन। घ. अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञताओं की उपलब्धता, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं, बाजार सर्वेक्षण और परियोजना की संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित परियोजनाओं का चयन। ड. परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, वित्तीय सहायता के लिए उपलब्ध स्कीमों (उदाहरणार्थ पीएमईजीपी, केन्द्र/राज्य सरकार व बैंकों आदि की सहायता स्कीमें) के साथ संयोजन सहित। च. स्वामित्वधारी फर्म/सीमित देयता साझेदारी एसएचजी/साझेदारी फर्म/कम्पनी/सोसाइटी/स्वयं-सहायता समूह आदि का सृजन। छ. आवधिक ऋण और संबंधित वित्तीय सहायता योजना के अधीन आवेदन पत्र की स्वीकृति। ज. जिला उद्योग केन्द्रों में ज्ञापन (भाग-I) को जमा करना।	25
2.	क. उपयुक्त प्रौद्योगिकी, प्लांट एवं मशीनरी/कार्यालय उपकरण आदि की पहचान एवं चयन। ख. आवधिक ऋण की निर्मुक्ति। ग. भवन किराए पर लेना/भूमि आवंटन एवं निर्माण/वर्कशेड/कार्यालय स्थान आदि किराए पर लेना। घ. बिजली कनेक्शन। ड. स्थाई लेखा संख्या (PAN) का आवंटन। च. बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर/सेवा कर आदि के अधीन पंजीकरण। छ. कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि से संबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति। ज. प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र। झ. स्थानीय निकायों/नगर पालिका प्राधिकारियों से अन्य लाइसेंस ञ. कानून के अंतर्गत यथापेक्षित एफडीए लाइसेंस/अन्य लाइसेंस। ट. कच्ची सामग्री आपूर्ति कर्ताओं के साथ तालमेल। ठ. प्लाट एंव मशीनरी का परीक्षण। ड. प्लांट एवं मशीनरी का संस्थापन/प्रारम्भ। ढ. उत्पादन/संचालन की सफलतापूर्वक शुरूआत। ड़. बाजार योजना/रणनीति तैयार करना। त. क्रेताओं के साथ विपणन तालमेल। थ. वेब पेज/ई-मेल पता सृजित करना। द. परामर्शदाता के साथ संबंध। ध. जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन (भाग-II) को जमा करना।	60
3.	क. उत्पादन/प्रचालन के सफलतापूर्वक आरम्भ के पश्चात 6 महीने की अवधि तक अनुश्रवण एवं अनुवर्तन। ख. सहायता प्राप्त उद्यमों के कार्यनिष्पादन पर अनुवर्ती कार्यवाही/फीडबैक रिपोर्ट का राज्य के उद्योग निदेशालय/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुतीकरण।	15

8.2.2 उद्यमी मित्र निर्धारित प्रोफार्मा में पथ प्रदर्शन प्रभार जारी करने के लिए अपना दावे प्रस्तुत करेंगे।

8.2.3 श्रेणी-I के उद्यमी मित्रों को पथ-प्रदर्शन प्रभार जारी करने के लिए अपना दावा संबंधित शीर्ष संस्था को प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी II और III के उद्यमी मित्र अपने दावे संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशक/आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

8.2.4 श्रेणी- I उद्यमी मित्रों से प्राप्त पथ-प्रदर्शन प्रभार दावों पर संबंधित मूल शीर्ष द्वारा जांच एवं कार्यवाही की जाएगी। (सूलमउ मंत्रालय द्वारा उनके स्तर पर दी गई अग्रिम अनुदान राशि में से)। श्रेणी- I उद्यमी मित्रों के स्वीकार्य दावों के लिए पथ-प्रदर्शन प्रभार, लाभार्थी अंशदान की उपलब्ध राशि का समायोजन करने के उपरान्त, उद्यमी मित्र प्रकोष्ठ द्वारा जारी किया जाएगा।

8.2.5 श्रेणी- II एवं III उद्यमी मित्रों से प्राप्त पथ-प्रदर्शन प्रभार के दावों की संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशक/आयुक्त के कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी। उद्यमी मित्रों को स्वीकार्य दावों के लिए पथ-प्रदर्शन प्रभार, संबंधित उद्यमी मित्र के पास लाभार्थी अंशदान की उपलब्ध राशि के समायोजन के उपरान्त, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के उद्योग निदेशक/आयुक्त द्वारा (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उनके स्तर पर दी गई अग्रिम अनुदान राशि में से) जारी किया जाएगा।

8.2.6 प्रथम चरण पूरा होने के बाद अर्थात् आवधिक ऋण की स्वीकृति होने तथा जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन (भाग- I) प्रस्तुत करने पर 25,00,000 रू. से अधिक की परियोजना लागत के लिए उद्यमी उपर्युक्त पैरा 8.1.4 के अनुसार उद्यमी मित्र को अतिरिक्त पथ प्रदर्शन प्रभार का भुगतान करेगा।

9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

9.1 संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग आयुक्त/निदेशक के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा और अनुश्रवण किया जाएगा। श्रेणी- I उद्यमी मित्र और संबंधित उद्योग आयुक्त/निदेशक योजना की आवधिक रिटर्न (मासिक/तिमाही/छमाही) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त रिटर्न के आधार पर समेकित सूचना एवं संकलित प्रगति रिपोर्ट, यदि कोई हो, संचालन समिति के समक्ष, समीक्षा, विश्लेषण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

9.2 इस योजना की सफलता/प्रभाव के आंकलन एवं बाधाओं/कमियों की पहचान, यदि कोई हों, का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा 11 वीं योजना के पश्चात कराया जाएगा।